संख्या–859(1)/9–आ–3–99–26 एल.यू.सी/91 टी.सी

प्रेषक **श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
सचिव, आवास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **1. उपाध्यक्ष,**
कानपुर विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 1999

**विषय : महायोजना में निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग में परिवर्तन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या– 2245/9–आ–3–98–26 एल.यू.सी/91 दिनांक 28.8.98 द्वारा निम्न भू–उपयोग से उच्च भू–उपयोग परिवर्तन किए जाने पर शुल्क का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में इस शुल्क को विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्धारित आवासीय दर व जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट में से जो अधिकतम हो, के आधार पर शुल्क लिए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। कतिपय महानगरों में सामान्यतः प्राधिकरण सीमा के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों की दरें निर्धारित है परन्तु कतिपय क्षेत्रों में आवास एवं विकास परिषद एवं प्राधिकरण द्वारा आवासीय दरें निर्धारित नहीं है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए जो सर्किल रेट निर्धारित किए गये है, यह रेट केवल स्टाम्प ड्यूटी चार्ज करने के प्रयोजन से निर्धारित किए गये है। कतिपय प्राधिकरण द्वारा शासन के समक्ष यह जिज्ञासा प्रकट की गयी है कि ऐसे प्राधिकरणों में किस दर पर भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।

2. अतः शासनादेश संख्या– 2245/9–आ–3–98–26 एल.यू.सी/91 दिनांक 28.8.1998 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परिषद/प्राधिकरण की आवासीय दरें तथा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित की गयी सर्किल रेट की दरों में से जो अधिकतम हो उस आधार पर ही भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क लिए जाने की पूर्व प्रतिपादित व्यवस्था को यथावत् लागू बनाए रखना उचित होगा। अतः इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

भवदीय,
**अतुल कुमार गुप्ता**
सचिव

संख्या–859(2)/9–आ–3–99–26 एल.यू.सी./91 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7–बन्दरियाबाग, लखनऊ
2. अपर निदेशक, आवास बन्धु, विकास भवन, लखनऊ
3. आवास विभाग के समस्त अनुभाग

आज्ञा से,
**जावेद एहतेशाम**
अनुसचिव